राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर।

क्रमांक : F26(4)( )AS/T&C/ICDS/10/ जयपुर दिनांक :

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद्,
समस्त।

विषयः– "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010" अभियान के दौरान निःशक्तजन के चिन्हीकरण के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत उल्लेखनीय है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार राज्य में केन्द्रीय निःशक्तजन अधिनियम 1995 के तहत परिभाषित सातों श्रेणियों के निःशक्तजनों का चिन्हीकरण एवं प्रमाणीकरण किया जाना है।

इस संबंध में माननीय मुख्य सचिव जी की ओर से समस्त संभागीय आयुक्तों एवं जिला कलेक्टर्स को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

उक्त चिन्हीकरण का कार्य निर्धारित प्रश्नावली के अन्तर्गत अपेक्षित जानकारियों का अंकन का कार्य आशा–सहयोगिनियों तथा जहां आशा सहयोगिनी नहीं हैं, वहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्पादित किया जाना है। उन्हें विधिवत प्रशिक्षण प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा प्रदान किया जाएगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित करने के लिए संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रशिक्षण की तारीख निश्चित कर प्रशिक्षण संबंधी सम्पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु वे प्रभारी अधिकारी, पीएचसी के निरन्तर सम्पर्क में रहेंगे।

अभियान के सुचारू एवं सफल संचालन में आशा सहयोगिनियों व जहां आशा सहयोगिनी नहीं हैं, वहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। अतः आप अपने अधीन सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित करावें कि इस संबंध में सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी, आशा सहयोगिनियों तथा जहां आशा सहयोगिनी नहीं हैं, वहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रस्तावित चिन्हीकरण कार्यक्रम के संबंध में अपेक्षित निर्देश जारी करें। अभियान की समाप्ति पर चिन्हित किए गए निःशक्तजनों की श्रेणीवार संख्या भी लिखें।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : F26(4)( )AS/T&C/ICDS/10/ 76431-500 जयपुर दिनांक : 22-10-10

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 54885 दिनांक 20.10.2010 के क्रम में।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, समस्त।
4. निदेशक, आरसीएच को भेजकर लेख है कि कृपया अपने MC&HM एवं RCHOs को सूचित करें कि वे अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के मेडिकल ऑफिसर को निर्देशित करें ताकि वे आशा सहयोगिनियों को निःशक्तजन के चिन्हीकरण का प्रशिक्षण दें तथा संबंधित CDPO से निरन्तर सम्पर्क रखें।
5. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त
6. प्रोग्रामर को भेजकर लेख है कि कृपया इसे विभागीय वेबसाइट पर डलवाए।

परामर्शद (QI)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर